न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 11/17 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2017/00044

उनवान

1. हरी सिंह } पुत्र राजाराम जाति धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. गोरेलाल }

.....अपीलांट।

बनाम

1. लालाराम }
2. गिर्राजप्रसाद } पुत्र नारायण सिंह
3. राम सिंह }
4. मोहन सिंह }
5. सुमित्रा } पुत्रीयॉ नारायण सिंह
6. कमला }
7. मोतीराम पुत्र गंगाराम (मृतक)
   - 7/1. भौती पत्नी मोतीराम
   - 7/2. नीलम पत्नी ओमप्रकाश }
   - 7/3. कविता पत्नी प्रेम सिंह } पुत्री मोतीराम
   - 7/4. सुमन पत्नी हरीमोहन }
   - 7/5. प्रेमशंकर }
   - 7/6. मुकेश } पुत्र मोतीराम
   - 7/7. रोहित }

   जाति धाकड नि0 वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. नवली पुत्री गंगाराम पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति धाकड निवासी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 19.01.2017 उनवानी लालाराम बनाम हरी सिंह प्र0स0 99/08, 98/08

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नारायण सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री भगवान सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 14.10.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किये कि एक प्रकरण नारायण सिंह वगै0 द्वारा अप्रार्थीगण राजाराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो दिनांक 05.09.1997 को निर्णित होकर खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नारायण सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील राजाराम अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गयी जो दिनांक 20.06.2003 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.1997 को निरस्त करते हुये, पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। दौराने अपील नारायण सिंह व गंगाराम का देहान्त हो गया। इससे पूर्व सीताराम का स्वर्गवास हुआ जो लावल्दविला औरत फौत हुआ इसलिये उसके हिस्से की आराजी को नारायण सिंह व गंगाराम को दे दिया गया। परन्तु नारायण सिंह व गंगाराम के विधिक वारिसान रिकार्ड पर नहीं लिये गये एवं बिना कायम मुकाम बनाये ही पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षकारान को तलब किया, तो दोनों पक्षकारो के सम्मन पर फौत होना अंकित आया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विधिक वारिसान् को फरीक कायम मुकाम नहीं बनाया जाकर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. द्वितीय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जाप्ता दीवानी प्रार्थीगण ने उनवानी प्रकरण हरि सिंह बनाम नारायण सिंह वगै0 में अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी मुकदमा नम्बर 481/2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 30.01.2008 में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के पिता मृतक नारायण सिंह व गंगाराम एवं मृतक सीताराम व अप्रार्थी के पिता मृतक बाबू की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 19(एए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के मृतक पिता राजाराम के विरूद्ध पेश किया गया था जो बाद सुनवाई आदेश दिनांक 05.09.1997 से प्रार्थीगण के पिताओ के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के पिता मृतक राजाराम द्वारा पेश की गयी। उक्त अपील न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.06.2003 से आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

के आदेश दिनांक 05.09.1997 को निरस्त करते हुये, पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को तलब किया, तो पक्षकारो के सम्मन पर फौत होना अंकित आया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विधिक वारिसान को फरीक कायम मुकाम नहीं बनाया जाकर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण असल ने दिनांक 22.10.2005 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 144 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत करते हुये मृतक राजाराम के वारिसान की ओर से पेश किया गया। जिसमें मृतक नारायण सिंह, गंगाराम व बाबू की तलबी की गयी। जो पूर्व में ही दौराने अपील मर चुके थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.01.2008 को बिना किसी कारण व तामील नहीं होते हुये भी प्रार्थीगण के पिता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये दिनांक 30.01.2008 तारीख पेशी नियत की गयी एवं आदेशिका में दिनांक 05.09.1997 के आदेश को निरस्त करते हुये राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर हरिसिंह व गोरेलाल पिसरान राजाराम के इंद्राज किये जाने की आज्ञा प्रदान की गयी। उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किये जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश को स्वीकार कर लिये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी 05 साल की देरी पर कोई गौर नहीं किया एवं ना ही उसका विवेचन अपने निर्णय में किया है एवं बिना कोई युक्ति युक्त कारण बताये दोनों प्रार्थना पत्रो को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को सम्मन तामील की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान को वास्ते सुनवाई, अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2003 नियत कर रखी थी। परन्तु बाद न्यायालय आदेश रैस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि दिनांक 30.01.2008 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 144 जाप्ता दीवानी में अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है उक्त निर्णय व आदेश के साथ कोई भी डिक्री विचरित नहीं हुई है, मात्र आदेश पारित हुये हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र मेंटेबिल नहीं था क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 को अपील करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर ना करते हुये, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त

3

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़ (राज.)

किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 (21) पेज 2014 पेज 732 का उद्धरण पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैसपो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायलय ने प्रकरण के तथ्यों की गहनता से जॉच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.1997 से एक प्रार्थना पत्र धारा 19 एए प्रार्थीगण/रैस्पो0 के पक्ष में निर्णित हुआ था जिसमें प्रार्थीगण/रैसपो0 को खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार प्राप्त हुये थे। अप्रार्थी राजाराम द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.09.1997 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.1997 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। दौराने अपील नारायण सिंह व गंगाराम का देहान्त हो गया था। परन्तु नारायण सिंह व गंगाराम के विधिक वारिसान रिकार्ड पर नहीं लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सम्मन भिजवाये गये उक्त सम्मनो पर तामील कुनन्दा की रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.02.2005 में भी उक्त दोनों का फौत होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की सहवनवश पालना ना करते हुये दिनांक 19.04.2005 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उनके विधिक वारिसान को कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। इस प्रकार प्रार्थी/रैसपो0 को उक्त दावे की सूचना नहीं हो पायी। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त एवं पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपनी स्वयं की सहवनवश भूल मानते हुये, दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये हैं, जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में स्वयं की सहवनवश कानूनी भूल को मानते हुये, एवं मूल पत्रावली को जिला अभिलेखागार से तलब करते हुये अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध अपील होने एवं उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। साथ ही उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2003 को उपस्थित होने बाबत् भी निर्देश दिये गये थे। परन्तु उक्त तिथि को मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर दिनांक 21.10.2003 को प्राप्त हुयी। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान् की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रार्थी 01 लगायत 03 के सम्मनो पर फौत अंकित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.02.2005 के अनुसार भी फौत होने की पुष्टि बखूबी सिद्ध होती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फौती के कायम मुकाम बनाये बिना ही प्रकरण दिनांक 19.04.2005 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिस कारण प्रार्थी 01 लगायत 03 के वारिसान को प्रकरण के संबंध में कोई सूचना नहीं होना स्वभाविक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी को स्वीकार किये जाने में, हमें कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। मृतक के वारिसान को न्यायहित में सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के भी स्वीकार करने में भी हमे कोई त्रुटि नजर नहीं आती हैं। प्रकरण हरी सिंह बनाम नारायण सिंह अप्रार्थीगण की तलवी में चल रहा था। जिसमें आगामी पेशी 15.01.2018 नियत की गयी। दिनांक 15.01.2008 को पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 30.01.2008 नियत की गयी एवं दिनांक 30.01.2008 को प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी मूल वाद के अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के कारण, प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थीगण द्वारा नारायण सिंह, गंगाराम व सीताराम की तलवी नहीं कराई गयी है। जबकि उक्त तीनो दौराने अपील फौत हो चुके थे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी में उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है एवं ना ही उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र 19 एए भू राजस्व अधिनियम की आदेशिका दिनांक 28.02.2005 से सिद्ध है कि उक्त तीनो यथा नारायण सिंह, गंगाराम व सीताराम फौत हो चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का उन्हें जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाना सिद्ध होता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रैस्पो0 के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में सहवनवश कानूनी भूल होना अंकित किया है एवं प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली की आदेशिकाओ का गहनता से अध्ययन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की जॉच एवं विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होती है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त एकपक्षीय डिक्री से संबंधित है। जबकि हस्तगत प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है एवं विधि अनुसार अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुये दावे की डिक्री बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना का निर्णय दिनांक 19.01.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना